भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1842

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

कार्बन कैप्चर परिव्यय और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना

†1842. **श्री तापिर गाव:**
श्री प्रवीण पटेल:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री सुनील कुमार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में घोषित 20,000 करोड़ रूपये के कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (सीसीयूएस) टेक्नोलॉजी निधि के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली प्रणाली स्थापित करने के लिए भारी उद्योग संकुलों का चयन किए जाने के लिए अपनाए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने चुनिंदा प्रायोगिक ताप विद्युत संयंत्रों में कार्बन कैप्चर की क्षमता का पता लगाने के लिए उत्सर्जन-न्यूनीकरण संपरीक्षा संबंधी विशिष्ट ढांचा स्थापित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय मानक विनिमय बनाए जाने के माध्यम से शहरी आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने में नगर निगमों की सहायता करने के लिए मानकीकृत नियम जारी करेगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : बजट (वित्तीय वर्ष 2026-27) की घोषणा के अनुसार, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य पांच औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर लाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है।

सीसीयूएस कार्यक्रम वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में स्थापना के चरण में है। कार्यक्रम के अनुमोदन के बाद, मंत्रालय परियोजनाओं/समूहों के चयन और अन्य कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं के तौर-तरीकों सहित अपेक्षित नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगा।

(घ) और (ङ) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है।यह प्रोत्साहन 100 करोड़ रूपये के बॉन्ड जारी करने पर 13 करोड़ रूपये की दर से दिया जाता है, और प्रति यूएलबी अधिकतम प्रोत्साहन 26 करोड़ रूपये तक हो सकता है। दूसरी बार प्रोत्साहन पाने की पात्रता केवल ग्रीन बॉन्ड जारी करने पर ही है; इसमें 100 करोड़ रूपये के बॉन्ड जारी करने पर 10 करोड़ रूपये की दर से प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा 20 करोड़ रूपये है।

आम तौर पर नगरपालिका बांड शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। अब तक, 23 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा नगरपालिका बांड के माध्यम से 6,540.44 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिसमें 7 शहरों द्वारा ग्रीन बांड के माध्यम से 1,294 करोड़ रुपये शामिल हैं। बॉन्ड जारी करने के लिए यूएलबी को प्रोत्साहन के तौर पर कुल 515.44 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं, जिसमें ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए 112.5 करोड़ रूपये का प्रोत्साहन भी शामिल है।
